प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 08.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 129 वाहनों से 1,28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 129 वाहनों से 1,28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राजेश गुप्ता थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त नजरे आलम पुत्र अब्दुल कलाम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 07 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 90/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नजरे आलम उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

*** थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305(a), 331(4), 324(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण नाम पता 01. अरबाज आलम पुत्र जहीर अहमद निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर 02. अहमद अली उर्फ बल्ला पुत्र समसुल कमर उर्फ जुगानी निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर 03. अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर को चोरी के गेहूँ, चावल, गुटका, चाकलेट, रबर वाल, बादाम, काजू, रिफाइन, कुरकुरे प्लेइंग कार्ड व 360 रु0 नगद के साथ सांथा चौराहे के पास से आज दिनाँक 08.04.2026 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-**

दिनाँक 07.04.2026 को वादी श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र पुत्र स्व0 शत्रुधन प्रसाद निवासी ग्राम रमवापुर मिश्र थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनाँक 06/07.04.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी की किराने की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे करीब पाँच हजार रुपये नकद, 2 कुन्तल चावल महीन, 1½ कुन्तल गेंहू, रिफाईन लगभग 50 पैकेट (एक किलो प्रति पैकिट), चायपत्ती 250 ग्राम वाला 15 पैकेट व 10 रुपये वाला एक बंडल चायपत्ती व काजू एक पाव का पाँच पैकेट, बादाम एक पाव वाला 14 पैकेट, अरहर दाल 12 किलो, मटर दाल 15 किलो, जीरा 2 किलो, मची 3 किलो, किशीमिश 2 किलो, अमूल दूध 12 पैकेट 200 ग्राम प्रति पैकेट, गुटका कमला पसन्द 14 पैकेट, सुद्ध प्लस 6 पैकेट, डाम्टर 14 पैकेट, पुकार 13 पैकेट, पेप्सी 2 ली0 वाला 5 बोतल, 1 ली0 वाला 8 बोतल व अन्य कई छोटी ठण्डा पेय के बोतल सरसो तेल चक्र 2 ली0 का दो, 1 ली0 का 7 बोतल, 1/2 लीका 12 डब्बा, इलेक्ट्रिक काटे का कागज (तौल मशीन) चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर बेलहरकला पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305(a), 331(4), 324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. अरबाज आलम पुत्र जहीर अहमद निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर।

02. अहमद अली उर्फ बल्ला पुत्र समसुल कमर उर्फ जुगानी निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर।

03. अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्त कबीर नगर।

बरामदगी का विवरणः-

1- डाक्टर देशी सुपारी गुटका 05 पैकेट 2- SNACKS चाकलेट 01 पैकेट 3- कमला पसन्द गुटका 12 पैकेट मय तम्बाकू 4- शुद्ध प्लस गुटका 04 पैकेट मय तम्बाकू 5-लोहा तम्बाकू 02 पैकेट 6- अकल गोल्ड मीठी सुपारी 01 पैकेट 7- पुकार गुटका एक पैकेट 8- बनारसी आशिकी 02 पैकेट 9-रबर बाल 08 अदद , 10- बादाम गुरु 03 पैकेट 200 ग्राम 11- काजू आंचल 02 पैकेट 2.50 ग्राम का 12-डार्लिंग माउथ फ्रेशनर 01 पैकेट 13- रिफाइण्ड बेस्ट च्वाईस 05 पैकेट 14- फारचुन रिफाइण्ड 02 पैकेट 15-स्वाद गोल्ड रिफाइण्ड 02 पैकेट 16- टन टनाटन कुरकुरे 01 पैकेट 17- प्लेईंग कार्ड 3 पैकेट 18- फन मिल्क चाकलेट 18 अदद, 19- चावल 99.900 किग्रा, 20- गेंहूँ 85.950 किग्रा, 21. 360 रु0 नगद।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण अरबाज आलम और अहमद अली उर्फ बल्ला से पूछताछ की गयी तो ने बताये कि हम दोनो मिलकर गेंहू चावल व इन सामानों की चोरी किये है तथा चोरी का गेंहू चावल अशोक कुमार गुप्ता को उनके दुकान पर बेचे हैं जिसका रुपया अभी नही मिला है। हम लोग अन्धेरे का लाभ उठाकर घरों व छोटी छोटी दुकानों में चोरी कर चोरी का माल बेचकर खाते पीते व मौज मस्ती करते हैं तथा यह जो रुपया व यह सामान चोरी का ही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरिनाथ मिश्र, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 रामभूषण पटेल, का0 रोहित कुमार
।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा 43000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को **43000** रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

श्री राजेन्द्र यादव पुत्र विजय बहादुर यादव ग्राम-मंझरिया पठान थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर दिनाँक 04.04.2026 को खाते से अज्ञात कारण से पैसा कट गया था तत्पश्चात् वादी द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराया गया था। जिसके उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर हेल्प डेस्क थाना-बेलहरकला द्वारा 43000 रूपये वापस करा दिया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश सिंह यादव थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त नजरे आलम पुत्र अब्दुल कलाम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 10 किलो गोवंशीय पशु का मांस बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री रामभवन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 99/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नजरे आलम को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर निर्वस्त्र करने के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में अजा दिनाँक 08.04.2026 को माननीय न्यायालय ए0ए0जे0/एस0पी0जे0 पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती अंजू चौधरी पत्नी श्री कृष्ण चौधरी निवासी सगरंवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली पर अभियुक्त नाम पता श्यामू कुमार पुत्र बुद्धू निवासी खेम्हरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर निर्वस्त्र करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1088/2018 धारा 354ख,452,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त श्यामू कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा धारा 354ख,452,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 504 भादवि को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 354ख भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 452 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2,100 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2,100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री जे0पी0 शुक्ला थाना दुधारा द्वारा 02 अभियुक्तगण 01. यार मो0 पुत्र दीन मो0 02. इकरामुल्लाह पुत्र इनामुल्लाह निवासीगण कन्हौली थाना नगर जनपद बस्ती के कब्जे से 01 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री राजेन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 693/2007 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.यार मो0 02. इकरामुल्लाह को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व पत्येक को 1050-1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा व0उ0नि0 श्री के0एम0दूबे थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा 02 अभियुक्तगण 01. एकलाख अहमद पुत्र अकबर अली बंजारा निवासी परैना 02. मो0 नईम पुत्र इसराईल निवासी काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद नजपद संतकबीरनगर के कब्जे से 19 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री राम सुरेश राय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 451/2006 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण एकलाख अहमद 02. मो0 नईम को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक को 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 25-25 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गाली गलौज मारपीट व धमकी देने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के दण्ड व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 08.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के दण्ड व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती दुल्ला पत्नी श्यामलौट निवासी जंगलउन टोला बलुअरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त हरिराम पुत्र बसंत निवासी जंगलउन टोला बलुअरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के द्वारा अपने सहअभियुक्तो के साथ मिलकर वादिनी को साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि श्री गोपालदास पटेल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1218/2007 धारा 323, 504,506,325 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त हरिराम को उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।